संख्या एवी-24018/14/2015-एडी
भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
एडी अनुभाग
****

'बी' ब्लॉक, राजीव गांधी भवन,
नई दिल्ली, दिनांक: 06.05.2025

सेवा में,

प्रधान सचिव,
वाणिज्य एवं परिवहन विभाग,
ओडिशा सरकार,
5वीं मंजिल, खरवेल भवन,
भुवनेश्वर - 751001।

विषय: ओडिशा के पुरी में अंतरराष्ट्रीय ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे के विकास हेतु ओडिशा राज्य सरकार को 'सैद्धांतिक' अनुमोदन प्रदान किए जाने के संबंध में।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आईडीसीओ के पत्र संख्या एचओ/पी एंड सी /ईएसटी/ई-1924/01/2022/30416 दिनांक 25.10.2024, जिसके माध्यम से ओडिशा के पुरी में अंतरराष्ट्रीय ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे की स्थापना हेतु **'सैद्धांतिक' अनुमोदन** का अनुरोध किया गया था, के संदर्भ में आपकी जानकारी एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु **'सैद्धांतिक' स्वीकृति प्रमाण-पत्र** संलग्न प्रेषित किया जाता है।

भवदीय,

(जोयंता चक्रवर्ती)
निदेशक
दूरभाष: 011-24610366

संलग्न: उपर्युक्तानुसार।

प्रतिलिपि:

1. मुख्य सचिव, ओडिशा सरकार, सामान्य प्रशासन विभाग, ओडिशा सचिवालय, भुवनेश्वर - 751001।
2. प्रबंध निदेशक, आईडीसीओ, आईडीसीओ टावर्स, जनपथ, भुवनेश्वर - 751022, ओडिशा।

सूचनार्थ प्रतिलिपि:

1. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नीति आयोग, योजना भवन, नई दिल्ली।
2. सचिव, गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
3. सचिव, रक्षा मंत्रालय, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली।
4. सचिव, आर्थिक कार्य विभाग, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
5. सचिव, राजस्व विभाग, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
6. सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली।
7. अध्यक्ष, भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (ऐरा), सफदरजंग हवाईअड्डा, नई दिल्ली।
8. अध्यक्ष, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई), राजीव गांधी भवन, नई दिल्ली।
9. महानिदेशक, नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए), नई दिल्ली।
10. महानिदेशक, नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस), नई दिल्ली।
11. महानिदेशक, भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी), लोधी रोड, नई दिल्ली।

भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय

सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करना

आवेदन संख्या: एवी-20018/1/2021-एडी

आवेदक का नाम: प्रधान सचिव, ओडिशा सरकार

पता: वाणिज्य एवं परिवहन विभाग, खरवेल भवन, भुवनेश्वर - 751001.

निर्णय:

सक्षम प्राधिकारी ने ओडिशा के पुरी में सार्वजनिक उपयोग हेतु **अंतरराष्ट्रीय ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे** की स्थापना के लिए **'सैद्धांतिक' अनुमोदन** प्रदान किया है। यह स्वीकृति रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, राजस्व विभाग, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नीति आयोग, भारत मौसम विज्ञान विभाग, नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए), भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई), नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस) तथा भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (ऐरा) द्वारा साइट क्लीयरेंस/'सैद्धांतिक' अनुमोदन चरण में निर्धारित शर्तों/टिप्पणियों, अन्य केंद्रीय सरकारी एजेंसियों द्वारा निर्धारित शर्तों, यदि कोई हों, के अनुपालन, विमानपत्तन अवसंरचना नीति, 1997/ग्रीनफील्ड हवाईअड्डा नीति, 2008 के प्रावधानों तथा नागर विमानन मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी देश में ग्रीनफील्ड हवाईअड्डों की स्थापना संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुपालन के अध्यधीन होगी।

'सैद्धांतिक' स्वीकृति प्रदान किए जाने की शर्तें

(i) परियोजना का विकास **राष्ट्रीय नागर विमानन नीति (NCAP), 2016** तथा नागर विमानन मंत्रालय (एमओसीए) द्वारा समय-समय पर जारी अन्य नीतियों के अनुरूप किया जाएगा।

(ii) आवेदक को सभी विनियामक/सरकारी एजेंसियों के साथ आवश्यक औपचारिकताएँ पूर्ण करनी होंगी तथा उनके द्वारा निर्धारित शर्तों, यदि कोई हों, का भी अनुपालन करना होगा।

(iii) आवेदक द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा अन्य संबंधित मंत्रालयों/वैधानिक निकायों से आवश्यक अनुमोदन/स्वीकृतियाँ/अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एनओसी), आवश्यकता अनुसार, प्राप्त किए जाएँगे। स्थल पर किसी भी प्रकार की पूर्व-विकास गतिविधि प्रारंभ करने से पूर्व इनका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(iv) भारत में कंपनी के प्रबंधन में वरिष्ठ निर्णयकारी पदों पर नियुक्त किए जाने वाले विदेशी नागरिकों/भारतीय प्रतिनिधियों के लिए गृह मंत्रालय/इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) तथा अन्य संबंधित एजेंसियों के माध्यम से आवश्यक सुरक्षा स्वीकृति प्राप्त की जाएगी।

(v) यदि परियोजना का क्रियान्वयन **पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी)** के माध्यम से किया जाना हो, तो रियायत समझौता, आरएफपी तथा परियोजना क्रियान्वयन से संबंधित अन्य दस्तावेज निविदा आमंत्रण सूचना जारी करने से पूर्व परीक्षण हेतु नागर विमानन मंत्रालय के साथ साझा किए जाएँगे। ऐसा करते समय भारत सरकार अथवा उसके संगठनों/एजेंसियों से संबंधित रियायतों अथवा धाराओं आदि को विशेष रूप से चिह्नित किया जाएगा।

(vi) ओडिशा सरकार/आईडीसीओ तटरेखा के लंबवत दिशा में रनवे के संरेखण की संभावना का आकलन करेगा ताकि ओएलएस, रनवे फनल प्रभाव आदि न्यूनतम हो सकें।

(vii) परियोजना प्रवर्तक द्वारा चिन्हित बाधाओं को हटाया जाएगा।

(viii) परियोजना के प्रथम चरण (Phase-I) के लिए ओडिशा सरकार/आईडीसीओ 100% भूमि अधिग्रहण का प्रयास करेगी तथा यह सुनिश्चित करेगी कि रियायत प्रदान किए जाने की तिथि तक कम-से-कम 90% भूमि अधिग्रहित हो चुकी हो।

(ix) यदि परियोजना का क्रियान्वयन पीपीपी के माध्यम से किया जाता है, तो हवाईअड्डे पर आरक्षित सेवाएँ उपलब्ध कराने हेतु भारत सरकार द्वारा चयनित रियायतधारी के साथ एक समझौता ज्ञापन निष्पादित किया जाएगा।

(x) इस **'सैद्धांतिक' स्वीकृति** के प्रदान किए जाने के उपरांत रंग-कोडित जोनिंग मानचित्र (सीसीजेडएम) हेतु आवेदन भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) को भेजा जाएगा।

(xi) हवाईअड्डे की मास्टर प्लान में प्रारंभिक स्तर से ही उपयुक्त डिज़ाइन/मानकों को सम्मिलित करते हुए **नेट ज़ीरो** लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कार्बन उत्सर्जन में कमी के उपाय किए जाएँगे, जिनमें अन्य बातों के साथ **100% हरित ऊर्जा** का उपयोग शामिल होगा।

(xii) परियोजना प्रवर्तक/हवाई अड्डा विकासकर्ता, नागर विमानन महानिदेशालय की **सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट्स (सीएआर), खंड-4, श्रृंखला 'एफ', भाग-I,** दिनांक **16.10.2006,** तथा समय-समय पर किए गए संशोधनों का अनुपालन करेगा।

(xiii) आवेदक को इस प्रमाण-पत्र के जारी होने की तिथि से **पाँच (5) वर्ष** के भीतर विकास कार्य प्रारंभ करना होगा। यदि पाँच (5) वर्ष के भीतर विकास कार्य प्रारंभ नहीं किया जाता है अथवा परियोजना मूल प्रस्ताव से भिन्न पाई जाती है, तो यह प्रमाण-पत्र बिना किसी अन्य सूचना के स्वतः **निरस्त एवं शून्य** माना जाएगा। ऐसी स्थिति में आवश्यकता पड़ने पर नवीन **'सैद्धांतिक' स्वीकृति** प्राप्त करना आवेदक की जिम्मेदारी होगी।

(जोयंता चक्रवर्ती)
निदेशक
दूरभाष: 011-24610366

दिनांक: 06.05.2025